


23.2.21 - पत्रावली पेश हुई। कृषिवक्ता
प्रतिवादी उपस्थित। कृषिवक्ता वादीगण व
वादीगण स्वयं को कावाज डिलाई गई।
बार-बार कावाज डिलाने पर भी कोई
हानि नहीं है। कृषि वाड वादीगण कृषि
हानि कृषि पेशी के अर्थात् नियात्रा
है। पत्रावली फंसल शुभार होकर डाकिल
हफर हो। निर्णय पुले न्यायालय पुनाया
जाया।


सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगान्त (नागौर)

